

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
451/2024

दायर दिनांक
15.07.2024
उनवान

निर्णय दिनांक
31.07.2024

1. शान्तिलाल पुत्र बंशीलाल ढोली उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. नन्दराम पुत्र बंशीलाल ढोली उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. धन्नीबाई पत्नी बंशीलाल ढोली उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. धर्मराज पिता अमरचन्द ढोली उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. नारायण पिता अमरचन्द ढोली उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. सांवरा पिता अमरचन्द ढोली उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7. शंकर पिता अमरचन्द ढोली उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
8. पुष्पा पिता अमरचन्द ढोली उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
9. लक्ष्मी पुत्री अमरचन्द ढोली ना. बा. ववि. माता विमला पत्नी अमरचन्द ढोली उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
10. विमला पत्नी अमरचन्द ढोली उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. मुला पिता चन्द्रा ढोली उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. जगदीश पिता रामचन्द्र ढोली उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. भंवर पिता रामचन्द्र ढोली उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. काना पिता श्रीकिशन कुम्हार उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. भैरु पिता देबी नायक उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. जमना पिता देबी नायक उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7. भुरा पिता गणेश नायक उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
8. शंकर पिता सुखा नायक उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
9. कालु पिता सुखा नायक उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
10. कंवरलाल पिता उंकार कुम्हार उम्र वयस्क निवासी छापरी तह0 व जिला भीलवाड़ा
11. गोपाल पिता उंकार कुम्हार उम्र वयस्क निवासी छापरी तह0 व जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

12. मोडी पत्नी उंकार कुम्हार उम्र वयस्क निवासी छापरी तह0 व जिला भीलवाड़ा
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी मुरारी जोशी

—विपक्षीगण

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 12 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गणेशपुरा प0ह0 खेड़लिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआखुर्द तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2072-2075 के खाता संख्या 154 की अभिलिखित आराजियात 228, 346 कुल किता 02 कुल रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 12 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।


हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काशतकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा गणेशपुरा प0ह0 खेड़लिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआखुर्द तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2072-2075 के खाता संख्या 154 की अभिलिखित आराजियात 228, 346 कुल किता 02 कुल रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम

had
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आकाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा